

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, JhalanaDoongri, Jaipur-302004 Phone:0141-5159699,5159604 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in Toll Free HelpLine No.: 18001806127 Ext. 7

क्रमांक एफ 16 (जनरल-110)/रा.प्र.नि.मं./हर्जाड्स/जयपुर/ 1426

दिनांकः 23 1 रे०२०

कार्यालय आदेश

बैटरी (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2001 के नियम 7 के अन्तर्गत बैटरी डीलर के उत्तरदायित्वों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से रिजस्ट्रीकरण करवाना अनिवार्य है। बैटरी डीलर के रिजस्ट्रीकरण के लिये राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:—

- 1. बैटरी डीलर के रजिस्ट्रीकरण अथवा नवीनीकरण एवं रजिस्ट्रीकरण के निलंबन/रद्दकरण/निरस्त करने के लिये क्षेत्रीय अधिकारी सक्षम होंगे।
- 2. रिजस्ट्रीकरण अथवा नवीनीकरण हेतु बैटरी डीलर द्वारा नियमों में निर्धारित प्रारूप (फार्म—IV) में आवेदन क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। समस्त आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत किये जायेंगे एवं आवेदन पत्र की हार्डकापी अन्य समस्त दस्तावेजों, जिनका विवरण आगे दिया गया है, के साथ संबंधित क्षेत्रीय कार्यलय में प्रस्तुत की जायेगी।
- 3. प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ रू. 10,000/- (शब्दों में रूपये दस हजार मात्र) का शुल्क देय होगा, जिसका भुगतान भी ऑनलाइन माध्यम से ही किया जायेगा। निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदन पत्र पर राज्य मण्डल द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र के संबंध में राज्य मण्डल कोई पत्र व्यवहार करने हेतु बाध्य नहीं होगा।
- 4. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची, जिन्हें ऑनलाईन आवेदन करते समय अपलोड भी किया जायेगा—
 - (i) उन सभी विनिर्माता, आयातकर्ता, समायोजक और मरम्मतकर्ताओं की सूची (नाम, पता, ई—मेल, मोबाईल नम्बर) जिनके उत्पादों का विक्रय डीलर द्वारा किया जाता है।
 - (ii) डीलरशिप नियुक्ति / प्राधिकृत पत्र।
 - (iii) डीलर एवं फर्म का पहचान प्रमाण पत्र (जैसे शॉप एक्ट के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन, साझेदारी विलेख एवं आधार एवं मालिकाना फर्म के मामले में पेन कॉर्ड एवं निगमन प्रमाणपत्र इत्यादि)।
 - (iv) बिजनेस के स्थान के संदर्भ में दस्तावेज/पता प्रमाण पत्र (शॉप स्वामित्व/किरायानामा इत्यादि।
 - (V)पुनः संगृहीत उपयोग में ली गई बैट्रियों (used batteries collected back) के भण्डारण हेतु व्यवस्था का विवरण।
 - (vi) निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ठ-1)
 - (vii) विभिन्न कैटेगरी की खरीदी गई, बेची गई व पुनः संगृहीत की गई बैट्रियों का निर्धारित प्रारूप में वर्षवार विवरण (परिशिष्ठ-2)
 - (viii) नियमों में निर्धारित प्रारूप (फार्म–V) में 31 मई एवं 30 नवम्बर तक निर्माताओं को प्रस्तुत अर्द्धवार्षिक विवरणी की प्रतिलिपि।
- 5. पूर्ण रूप से भरे हुए आवदेन पत्र व संदर्भित दस्तावेजों की प्राप्ति के पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाएगा (परिशिष्ठ–3)
- 6. रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन का निस्तारण सम्बंधित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर सुनिश्चित किया जायेगा।

- 7. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रति उन सभी विनिर्माता, आयातकर्ता, समायोजक और मरम्मतकर्ताओं को भी प्रेषित की जायेगी जिनके उत्पादों का विक्रय डीलर द्वारा किया जाता है।
- 8. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने के पूर्व किसी प्रकार के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।
- 9. रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण हेतु मूल रजिस्ट्रेशन के expiry के एक माह पूर्व आवेदन सभी विवरणों तथा निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप (फार्म–IV) में प्रस्तुत किये जाएंगे:–
 - i. पूर्व में जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की अनुपालना रिपोर्ट।
 - ii. इस आशय का शपथ पत्र कि पुनःसंगृहीत उपयोग में लाई गई समस्त बैट्रीयों को संबंधित विनिर्माता, आयातकर्ता, समायोजक और मरम्मतकर्ताओं को लौटाया जा चुका है।
- 10. क्षेत्रीय अधिकारी स्वयं द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन्स एवं सभी डीलर, विनिर्माता, आयातकर्ता, समायोजक और मरम्मतकर्ताओं का विवरण संधारित करेंगे।
- 11. रिजस्ट्रेशन की शर्तों व नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में सम्बंधित क्षेत्रीय अधिकारी नोटिस एवं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् रिजस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निरस्त/रद्द/निलंबित करने के लिये अधिकृत होगा।

यह आदेश बैटरी डीलर्स के रजिस्ट्रेशन हेतु मण्डल कार्यालय में प्राप्त होने वाले सभी आवेदन पत्रों के संबंध में लागू होंगे। जिन बैटरी डीलर्स द्वारा रजिस्ट्रेशन हेतु पूर्व में हार्डकापी में आवदेन प्रस्तुत किये गये है, वे सभी उक्त प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन/संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में पुनः आवदेन प्रस्तुत करेंगे।

> सदस्य सचिव दिनांक 23·1·२०२०

क्रमांक एफ16 (जनरल- 110)/राप्रनिम/हजार्डियस/जयपुर/ 1426-463

प्रतिलिपि निम्न को उपरोक्तानुसार संलग्नकों सहित सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली-
- 2. निजी सचिव अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर।
- 3. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- अतिरिक्त निजी सचिव,सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर।
 - 5. मुख्य पर्यावरण अभियंता / मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर।
 - 6. मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर।
 - 7. शाखा प्रभारी सी.पी.पी./माईन्स/एच.ओ.पी./एम.यू.आई.डी./एच.एस. डब्ल्यू/बी.एम. डब्ल्यू/सी.डी. /पी.डी.एफ/प्रोजेक्ट/जल उपकर/वी.टी.आर/प्रशासन/एम.एस.डब्ल्यू/लिक्विड वेस्ट राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर।
 - 8. क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर (उतर), जयपुर (दक्षिण), अलवर, भिवाडी, भीलवाडा, बालोतरा, बीकानेर, पाली, उदयपुर, किशनगढ, चितौडगढ़, भरतरपुर, जोधपुर, सीकर, कोटा।
 - 9. शाखा प्रभारी (आई. टी.), राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को राज्य मण्डल की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
 - 10. मास्टर फाइल।

· // सदस्य सचिव



Annexure-1

		PROFORMA AFFIDAVIT
١,		(name and designation) S/o/ D/o/ W/o Shri Resident of
_		(Address of the applicant) do solemnly affirm and declare as under:-
	1.	That I am responsible for day to day operations of the dealership named M/s
		(Name & address of the dealership firm).
	2.	That I, (name and designation) am authorised to sign the application
		form for registration under Batteries (Management and Handling) Rules, 2001 with
		the Rajasthan State Pollution Control Board and other enclosures.
	3.	That I am authorised dealer of batteries as defined under sub-rule (i) of Rule 3 of
		the Batteries (Management and Handling) Rules, 2001 and engaged in sell and
	. :	receipt of lead acid batteries or components thereof to and from the consumers or
		other dealers or retailers on behalf of the manufacturer/ importer/ assembler/
		reconditioner namely, M/s
	4.	That I shall collected back the used batteries as per the Schedule against new
		batteries sold.
	5.	That I shall give appropriate discount for every used battery returned by the
		consumer.
	6.	That I shall ensure that used batteries collected back are of similar type and
		specifications as that of the new batteries sold.
	7.	That I shall file half-yearly returns of the sale of new batteries and buy-back of old
		batteries to the manufacturer in Form V by 31st May (for sale during Oct-March)
		and 30th November (for sale during April – September) of every year.
	8.	That I shall ensure safe transportation of collected batteries to the designated
		collection centres or to the registered recyclers

9. That I shall ensure that no damage is caused to the environment during storage

(Signature of applicant with name)

Place

Date

D:\Niraj Sir\OFFICE ORDER Power deligate to RO\Affidavit.docx

and transportation of used batteries.

1

परिशिष्ठ-2

विभिन्न कैटेगरी की क्रय, विक्रय एवं पुनः संगृहीत की गई बैटरियों का विवरण (.....सेसे तक)

क्र.सं.	बैट्रियों के प्रकार	क्रय की गई		विक्रय गई		पुनः संगृहीत की गई	
प्रग.स.	बाद्रया ये अयगर	संख्या	वजन	संख्या	वजन	संख्या	वजन
1	ऑटोमेटिव						
A	चौपहिया					-	
В	दुपहिया						
2	औद्योगिक			į.	•		
A	यू.पी.एस				2		
В	प्रेरक शक्ति						
	(स्टेण्ड–बाय)						
3	अन्य						
	(इनर्वटर	и.					
	इत्यादि)।						

SDV

Annexure - 3

Format of Registration Certificate

Registration Certificate under the provisions of sub-rule (vii) (a) of Rule 7 of Batteries (Management and Handling) Rules, 2001 (as amended)

riie i	Date
Regis	stration No. Bat/ (RO name)/ (Year)/ (No.)
To,	
• • • • • • •	
• • • • • •	
,	••••
Sub	o - Registration Certificate under the provisions of sub-rule (vii) (a) of Rule 7 of
	Batteries (Management and Handling) Rules, 2001 (as amended).
Ref	Your application for Registration Certificate under the provisions of sub-rule (vii)
£	(a) of Rule 7 of Batteries (Management and Handling) Rules, 2001 (as
	amended) - Number of application/ letter dated
	M/s having its place of business at is hereby registered
	as a Dealer under the provisions of sub-rule (vii) (a) of Rule 7 of Batteries
	(Management and Handling) Rules, 2001 (as amended).
2.	M/s is authorised dealer of batteries as defined under sub-rule (i)
	of Rule 3 of the Batteries (Management and Handling) Rules, 2001 and sells lead
	acid batteries and components thereof on behalf of the manufacturer/ importer/
	assembler/ reconditioner namely, M/s,, and recollect
	batteries from the consumers.
3.	The registration shall be valid for a period from to and is subject to
	the following conditions:-
i.	That used batteries as per the Schedule shall be collected back from the
	consumers against new batteries sold

- ii. That appropriate discount shall be offered for every used battery returned by the consumer.
- iii. That the used batteries collected back should be of similar type and specifications as that of the new batteries sold.
- iv. That record of batteries sold and re-collected from the consumers shall be maintained and half-yearly returns of the sale of new batteries and buy-back of old batteries shall be submitted to the manufacturer in Form V by 31st May (for sale during Oct-March) and 30th November (for sale during April – September) of every year.
- v. That the dealer shall be responsible for safe transportation of collected batteries to the designated collection centres or to the registered recyclers.
- vi. That due care shall be taken during storage and transportation of used batteries to ensure that no damage is caused to the environment during handling of batteries.
 - 4. This registration is liable to be revoked/ cancelled in case of any non-compliance of the conditions mentioned above or violation of provisions of the Batteries (Management and Handling) Rules, 2001.
 - 5. That an application for renewal of registration certificate shall be made at least 45 days before the expiry of this registration certificate.
 - 6. The Rajasthan State Pollution Control Board reserves right to modify any of the above conditions or add or delete any condition.

)
er

Copy to following:-

- 1. M/s (All corresponding manufacturers/ importers/ assemblers/ reconditioners).
- 2. Master File.

Regional Officer